

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____

ग्रा.वि.-7(अं)-01/2018

पटना, दिनांक _____

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
अपर सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के दिवतीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रुपये के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0-379229 दिनांक- 17.07.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V SI. No.-73 दिनांक 09-07-2018 द्वारा प्रथम भाग के दिवतीय किस्त की राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रुपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है । उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु कर्णांकित उपबंध से स्वीकृत्यादेश सं0-379229 दिनांक-17.07.2018 के द्वारा उक्त प्राप्त राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. उक्त प्राप्त राशि कुल 24154.46 लाख (दो अरब इकतालीस करोड़ चौवन लाख छियालीस हजार) रुपये को मांग संख्या 42 के मुख्य शीर्ष 2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये आय व्यय उपबंध हेतु कर्णांकित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अठानबे लाख) रुपये में से केन्द्रांश के रूप में पूर्व में आवंटित राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छबीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये घटाने के उपरांत अवशेष राशि 155871.29 (पंद्रह अरब अठानव करोड़ इकहत्तर लाख उन्नतीस हजार) रुपये में से की आवंटित की जाती है ।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

जापांक 379513 पटना, दिनांक: 18.07.2018

ग्रा.वि.-7(आं)- 01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10, बजट शाखा, प्रभारी सांख्यिकी सहायक, सी0एफ0एम0एस0 टीम तथा आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अपर सचिव
